



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 30]

नई दिल्ली, जुलाई 22—जुलाई 28, 2018, शनिवार/आषाढ़ 31—श्रावण 6, 1940

No. 30]

NEW DELHI, JULY 22—JULY 28, 2018, SATURDAY/ASADHA 31—SRAVANA 6, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति आयोग)

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2018

सा.का.नि. 226.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और योजना आयोग, (फोटोस्टेट-सह-उपस्कर पर्यवेक्षक, फोटोस्टेट-सह-उपस्कर आपरेटर और सहायक फोटोस्टेट-सह-उपस्कर आपरेटर) भर्ती नियम, 1988 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति आयोग) में सहायक फोटोस्टेट-सह-उपस्कर आपरेटर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति आयोग), सहायक फोटोस्टेट-सह-उपस्कर आपरेटर, भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर : पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्याप्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सहायक फोटोस्टेड-सह-उपस्कर आपरेटर	1* (2018) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-2 (₹ 19900-63200)	चयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	(1) 12वीं पास (2) फोटोकॉपियर, प्रोजेक्टर, जिल्दसाजी/कटिंग और अन्य कार्यालय उपस्करों की हैंडलिंग और प्रचलन का कार्यसाधक ज्ञान। (3) कार्यालय में विद्युत उपस्करों, साधनों और साज-सामान के सामान्य अनुरक्षण में कुशलता। टिप्पण : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किये जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
आयु - नहीं शैक्षिक अर्हताएं - नहीं, परन्तु प्रोन्नत व्यक्तियों के पास स्तम्भ (7) में मद संख्या (2) और (3) के अनुभव आदि होने चाहिए।	दो वर्ष (सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए)।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर, सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जायेगा
(11)
प्रोन्नति:- वेतन मैट्रिक्स (₹ 18000-56900) में स्तर-1 समूह 'ग' के ऐसे अधिकारी जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा की है। प्रतिनियुक्ति:- केंद्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी-- (क)(i) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश या समतुल्य पद धारण किए हो; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (₹ 18000-56900) में स्तर-1 में 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो, और (ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित किए गए अनुभव और शैक्षिक अर्हताएं रखता हो। टिप्पण - प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अवर सचिव, (प्रशासन) - अध्यक्ष 2. तकनीकी अधिकारी (चार्ट, नक्शे और उपस्कर) / ज्येष्ठ अनुसन्धान अधिकारी - सदस्य 3. अनुभाग अधिकारी (प्रशासन) - सदस्य	लागू नहीं होता।

NATIONAL INSTITUTION FOR TRANSFORMING INDIA (NITI AAYOG)

New Delhi, the 17th July, 2018

G.S.R. 226.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Planning Commission (Photostat-cum-Equipment Supervisor, Photostat-cum-Equipment Operator and Assistant Photostat-cum-Equipment Operator) Recruitment Rules, 1988, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Photostat-cum-Equipment Operator in the National Institution for Transforming India (NITI Aayog), namely:-

1. Short title and commencement. -

- (1) These rules may be called the National Institution for Transforming India (NITI Aayog), Assistant Photostat-cum-Equipment Operator, Recruitment Rules, 2018.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, level in the Pay matrix. - The number of the post, its classification, level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc. - The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification. - No person,-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Assistant Photostat-cum-Equipment Operator.	1* (2018). *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-2 (Rs. 19900-63200).	Selection

Age limits for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 25 years. (Relaxable for Government servants)	(1) 12 th pass. (2) Working knowledge	Age - No Educational Qualification - No.	Two years (for direct recruits).

<p>upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central government)</p> <p>Note 1 : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangl Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p> <p>Note 2: In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.</p>	<p>of handling and operating photocopiers, projectors, binding/cutting and other office equipments.</p> <p>(3) Skill in carrying normal maintenance of office electrical equipments, appliances and fittings.</p> <p>Note: Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.</p>	<p>But promotees will have to possess the experience, etc. at item no. (2) and (3) in column (7).</p>	
---	--	---	--

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption, percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation, grades from which promotion or deputation to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion, failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	<p>Promotion : Officers holding Group 'C' posts in the Level-1 in pay matrix (Rs. 18000-56900) with 3 years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis.</p> <p>Deputation : Officers under the Central Government-</p> <p>(a) (i) holding analogous or equivalent posts; or</p> <p>(ii) With 3 years' regular service in the Level-1 in pay matrix (Rs. 18000-56900) or equivalent; or</p> <p>(b) possessing the educational qualifications and experience</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Under Secretary (Administration) – Chairman 2. Technical Officer (Charts, Maps and Equipment)/Senior Research Officer – Member 3. Section Officer (Administration) – Member. 	Not applicable.

	<p>prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p>(Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years).</p>		
--	--	--	--

[F.No. A-12018/05/2016-Adm.III]

GULVEENA BADHAN, Under Secy.

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2018

सा.का.नि. 227.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान बंगलौर, **स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी I), स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी II) और स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी)** भर्ती नियम, 2006 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, केंद्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान बंगलौर में, **स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी), स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी II) और स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी I),** के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, केंद्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान बंगलौर, **स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी I), स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी II) और स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी)** (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर : पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :-

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।